प्रेस नोट दिनांक 31.08.2024

जनपद चन्दौली

➡ मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने जैसे अपराध कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग सरगना/गैंग के सदस्य, कुल 04 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुगलसराय व थाना चकरघट्टा द्वारा गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

➡ इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी

➡ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी मुगलसराय व थाना प्रभारी चकरघट्टा के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय व थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली पर दिनांक 30.08.2024 को धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत व मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी कर अनाधिकृत रुप से भौतिक,आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उपरोक्त गैंग के सरगना/सदस्य पर जनपद के थाना मुगलसराय व थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली में गोवंश नि0 अधि0 में अभियोग पंजीकृत है।

थाना मुगलसराय-

थाना मुगलसराय पर दिनांक 30.08.2024 को मु0अ0सं0 365/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

(गैंग लीडर)1. सत्यदेव कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय मृत्युंजय प्रसाद निवासी थाना रामनगर जनपद वाराणसी उम्र 44 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं0- 38/2024 .धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 365/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

(गैंग सदस्य) 2-सरिता पत्नी स्व0 राधेश्याम निवासी कुढकला थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 42 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं0- 38/2024 .धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 365/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा-

थाना चकरघट्टा पर दिनांक 30.08.2024 को मु0अ0सं0 55/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

(गैंग लीडर)1 सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामपति निवासी ग्राम झडपी थाना-रायपुर, जनपद-सोनभद्र, उम्र -27 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 52/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 419/420/467/468 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 54/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

(गैंग सदस्य- रजनीकान्त पुत्र रामस्वारथ निवासी बनबहुआर थाना रायपुर जनपद सोनभद्र उम्र- 23 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.सं. 52/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 419/420/467/468 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2-मु0अ0सं0- 54/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 31.08.2024

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

➡️एसपी श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना सैयदराजा पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

➡️गोवंश की तस्करी करने जैसे अपराध कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग सरगना/गैंग के सदस्य, कुल 02 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सैयदराजा द्वारा गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

➡️ गोलू उर्फ अवध पटेल व विकास मौर्या गोवंशो की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध में है सलिप्त

➡️इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंशो की तस्करी

➡️ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग सरगना व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1-गोलू उर्फ अवध पटेल पुत्र राजकुमार पटेल निवासी पण्डितपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष (गैंग सदस्य) 2- विकास मौर्या पुत्र मोहनलाल मौर्या निवासी करना डाढ़ी धनपालपुर,काशीपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष के विरुद्ध नियमानुसार दिनांक 30.08.2024 को मु0अ0सं0-155/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत व गोवंशो की तस्करी कर अनाधिकृत रुप से भौतिक,आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उपरोक्त गैंग के सरगना/सदस्य पर जनपद के थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली में गोवंश नि0 अधि0 में अभियोग पंजीकृत है।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

(गैंग लीडर) 1.गोलू उर्फ अवध पटेल पुत्र राजकुमार पटेल निवासी पण्डितपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं0- 236/2023 .धारा 3/5A/5B/8 उ0प्र0 गो0नि0 अधि व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 155/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

(गैंग सदस्य) 2-विकास मौर्या पुत्र मोहनलाल मौर्या निवासी करना डाढ़ी धनपालपुर,काशीपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं0- 236/2023 .धारा 3/5A/5B/8 उ0प्र0 गो0नि0 अधि व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 155/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

प्रेस-नोट   जनपद चन्दौली

दिनांक-31.08.2024

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

◆बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों व अलार्म की भी परखी जा रही व्यवस्था

◆बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 31.08.2024

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

□ थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 अभियुक्तों को कुल 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना चकरघट्टा पर गठित टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को कुल 25 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

1- दिनांक 29.08.2024 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी मय टीम द्वारा समय 16.00 जरहर मोड़ के पास ग्रा0 जरहर से 01 अभियुक्त मय 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 52/24 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण –

1.मु0अ0सं0- 52/24 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम

बरामदगीः-

1. 15 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 घुरहू नि0 ग्रा0 दानूगढ़ा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

गिरफ्तार/बरामदगी अधिकारी/कर्म0गण नाम -

1.उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2. उ0नि0 संतोष कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2-दिनांक 30.08.2024 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी मय टीम द्वारा समय 8.30 परसिया पुलिया के पास ग्रा0 परसिया से एक अभियुक्त मय 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/24 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण –

1.मु0अ0सं0- 53/24 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।

बरामदगीः-

1. 10 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. अमरनाथ पुत्र रामकेवल नि0 ग्रा0 परसिया थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

गिरफ्तार/बरामदगी अधिकारी/कर्म0गण नाम -

1.उ0नि0 राजमणि यादव   थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 संतोष कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 31.08.2024

थाना साईबर क्राईम, चन्दौली

थाना साइबर क्राइम की टीम द्वारा आवेदक से हुए धोखाधड़ी की धनराशि ₹ 33,500/- वापस कराया गया

श्री आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आवेदक आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी ग्राम इन्द्रपुरवा थाना चकिया जनपद चन्दौली के खाते से ₹ 33,500/- विदेश भेजने के नाम से आनलाइन धोखाधडी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आवेदक अजय कुमार उपरोक्त द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम, वीरेन्द्र कुमार की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि ₹ 33,500/- को आवेदक के खातें में वापस कराया गया। आवेदक अजय कुमार उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक चन्दौली व थाना साइबर क्राइम टीम को जरिये मेल धन्यवाद/आभार प्रकट किया गया है।

नाम पता आवेदक-

आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी ग्राम इन्द्रपुरवा थाना चकिया जनपद चन्दौली

फ्राड का दिनांक– 20.03.2024

विवरण बरामदगी-

वापस करायी गयी धनराशि रुपया 33,500/-

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0 नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

हे0का0 पवन कुमार यादव

का0 सन्तोष कुमार यादव

का0 मनोज चौहान

का0 अनिल कुमार

का0 आशुतोष भारद्वाज

प्रेस नोट दिनांक-31.08.2024

जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

□पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:-

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगमी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 31.08.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग के दौरान 12 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावानी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 31.08.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 12 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस नोट-दिनांकः 31.08.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 31.08.2024 को कुल 179 वाहनों का चालान करते हुए 2,30,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.08.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 179 वाहनों का चालान करते हुए 2,30,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या	**यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार**	**चालान की संख्या**
1	बिना बीमा- 05	

2 बिना परमिट- 05

3 बिना हेलमेट- 61

4 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी- 09

5 नो पार्किंग- 56

6 गलत नम्बर प्लेट- 04

7 लाइसेंस ना होना- 06

8 गलत दिशा - 20

9 खतरनाक ढ़ग से वाहन चलाना - 09

10 बिना फिटनेस- 04

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 31.08.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः- 179

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-2,30,000/- रूपयें।